न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 87/2014

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

1 नवरगंसिह पुत्र मालसिंह।
2/1 अमरजीत सिंह उम्र 38 साल पुत्र किशोर सिंह।
2/2 विजय सिंह उम्र 36 साल पुत्र किशोर सिंह।
2/3 भवानी सिंह उम्र 36 साल पुत्र किशोर सिंह।
2/4 सुमन कंवर उम्र 33 साल पुत्री किशोर सिंह।
2/5 माया कंवर उम्र 58 साल पत्नी किशोर सिंह।
3 महेन्द्र सिंह पुत्र मालसिंह जाति समस्त रावणा राजपूत निवासीगण बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 औंकारमल पुत्र सुरजाराम उर्फ भोलाराम।
2 देबुराम पुत्र सुरजाराम उर्फ भोलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

3 ओमप्रकाश पुत्र मालाराम।
4 पृथ्वी पुत्र मालाराम।
5 सुभाष पुत्र मालाराम।
6 विधाधर पुत्र मालाराम।
7 पवन पुत्र मालाराम जाति समस्त माली निवासीगण डुडिया वाली ढ़ाणी तन बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं उप पंजियन तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.14 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा नवरगसिंह बनाम औकारमल वगैरह दावा बबत घोषणार्थ व विभाजन मु.नं. 6/2012

उपस्थित

1. श्री सुभाष चन्द्र पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—11.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा वाद संख्या 6/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध दावा बाबत घोषणा व विभाजन भूमि खसरा नम्बर 428,429,430,431,432,434,435,437,438,439, 440 वाके ग्राम बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के सन्दर्भ में पेश किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय के वाद वादी खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सुरजाराम और भोलाराम को अलग—अलग व्यक्ति मानकर विचाराधीन वाद खारिज किया है जबकि यह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है विचारण न्यायालय को इस बिन्दु पर साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए थे तदुपरान्त निर्णय पारित करना चाहिए था। वादी किशोर सिंह की मृत्यू से पूर्व विचाराधीन निर्णय पारित हो गया इसलिए उनके वारिसान अपीलांट की और से धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

गई है अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपील स्वीकार कर पुन निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वलदियत अलग–अलग मानते हुये विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने भी अपील स्वीकार कर प्रकरण पुन निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करने पर सहमती दी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर